


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रमेश कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाडा) सू.अ.अपील संख्या 44/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जाही हुए
28-05-24	<p>अपीलार्थी रमेश कुमार निवासी बादर के अन्दर, मेघवालों का बास, बिलाडा, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20/01/2024 में नगर पालिका बिलाडा में देवाराम पुत्र जोराराम मेघवाल मोहल्ला बढेर के अंदर मेघवालों का बास बिलाडा भवन निर्माण की सम्पूर्ण फाईल कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाडा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बिलाडा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बिलाडा) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाडा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर जोधपुर ग्रामीण</p>	

